

सं०

३०

पत्र सं०-एम-४-०२/२०१२...~~३१५३~~.../वि०(२),

बिहार सरकार

06 AUG 2012

वित्त विभाग

रूप सपि पटना, दिनांक... २२/८/१२

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी।

उप सचिव का कार्यालय
4037(P/S)
07/08/12

विषय :- राज्य सरकार के अधीन नियमित वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार के सेवी वर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं० 420 दिनांक 21.01.2000 तथा संकल्प सं० 809 दिनांक 22.05.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। वर्तमान में सरकार के कर्मियों को 7.50 लाख रुपये की सीमा तक अथवा अपने वेतन का 60 गुणा, दोनों में जो कम हो को राज्य सरकार से ऋण प्राप्त होता है। यह राशि आज की परिस्थिति में अत्यंत कम है। साथ ही चालू व्यवस्था के तहत अत्यंत सीमित संख्या में सरकारी कर्मियों को वित्त विभाग के द्वारा केन्द्रीयकृत तरीके से ऋण मिल पाता है।

2. राज्य सरकार के सेवी वर्ग को पूर्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया से गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराने हेतु समझौता किया गया था तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उनसे एकरारनामा किया जायेगा। दिनांक 30 अगस्त, 2011 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त समझौता किया गया है जिसके मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं :-

(i) बैंक के द्वारा जिस न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है वह बैंक का base rate है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाता है। चूंकि State Bank of India का base rate अन्य बैंकों से कम है इसलिये राज्य सरकार के सेवाकर्मियों को आय के आधार पर 30 लाख रुपये तक के गृह निर्माण ऋण का भुगतान base rate+0.15% पर किया जाएगा। यदि base rate में परिवर्तन होगा तो तदनुसार interest rate भी घट-बढ़ सकता है। इस प्रकार यह floating interest at base rate होगा। 30 लाख से उपर के ऋणों पर बैंक द्वारा साधारण तौर पर लिये जाने वाले सूद की दर लागू होगी।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मी जो ऋण लेगा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से जिला के मुख्यालय में अवस्थित शाखा बैंक में आवेदन देगा और उसे उसकी भुगतान क्षमता एवं बची हुई सेवा के आधार पर बैंक 15 दिनों में ऋण देगा।

(iii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सेवा कर्मियों से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के वेतन से बैंक द्वारा निर्धारित EMI को बैंक के loan account में जमा कराये। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों/पदाधिकारी को जिस बैंक से

वेतन भुगतान किया जायेगा उस बैंक के माध्यम से ऋण देनेवाले बैंक में जमा की जाएगी। सरकारी सेवक के स्थानांतरण की स्थिति में उसको निर्गत होने वाले Last Pay Certificate में अनिवार्य तौर पर बकाये ऋण का उल्लेख किया जाएगा ताकि स्थानांतरित पद पर योगदान के बाद संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भी नियमानुसार EMI की कटौती बैंक में भुगतान कराया जाना सुनिश्चित हो।

(iv) यदि ऋण को चुकता करने के पूर्व सेवाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो एकरारनामा के अनुसार Leave encashment की राशि तथा भविष्य निधि/Gratuity की राशि से एकमुश्त उतनी राशि बैंक को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

(v) यदि फिर भी कोई राशि बच गई तो बैंक बनने वाले घर/प्लैट के equitable mortgage से राशि की वसूली करने में सक्षम होगा।

(vi) यदि कर्मी चाहे तो कंडिका (iv) एवं (v) के विकल्प के रूप में बैंक के साथ मृत्यु की आकस्मिकता में भुगतान की जगह एकमुश्त insurance राशि का भुगतान कर सकता है।

(vii) राज्य कर्मी को कहीं भी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जिसमें CBS हो अपना वेतन खाता रखने की सुविधा होगी। परन्तु यदि कर्मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने वेतन खाता रखता है तो बैंक के द्वारा इस ऋण के लिए साधारण तौर पर लिए जाने वाले प्रोसेसिंग फीस को माफ कर दिया जाएगा।

(viii) बैंक के द्वारा दिए जानेवाले ऋण के एकरारनामा का एक standard format होगा और ऋण के लिए आवेदन करने के लिए भी standard format and document होंगे ताकि सेवाकर्मी को बैंक में बार-बार परेशान न होना पड़े।

(ix) राज्य सरकार के सेवी वर्ग इस योजना के तहत जमीन क्रय कर मकान बनाने/मकान क्रय किये जाने/प्लैट क्रय करने/मकान की मरम्मती/मकान के वृहद्दीकरण हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं।


3. यदि केन्द्र सरकार गृह निर्माण ऋण के लिए interest subvention देती है तो वह कर्मी को सीधा बैंक के माध्यम से देय होगा।

कंडिका 2(iii) के प्रावधान के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. यदि किसी अन्य राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक से बेस रेट पर गृह निर्माण अग्रिम के लिए एकरारनामा होता है, जिसकी दरें SBI से कम हों, तो स्टेट बैंक अपनी दर पर पुनर्विचार करेगा।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी अपने अधीनस्थ सभी सरकारी सेवकों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी जाय।

विश्वासभाजन,


(रामेश्वर सिंह)

प्रधान सचिव

३१